राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11499/2022

प्रताप राम पुत्र रामू राम, उम्र लगभग 64 वर्ष, निवासी जाटों का बास, गांव जाजीवाल भाटियान, तहसील और जिला जोधपुर (राजस्थान) (आधार संख्या 769185136188) वर्तमान में श्री महादेव जी मंदिर (मठ) के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं (पंजीकरण) क्रमांक 22/2007 जोधपुर) ट्रस्ट ग्राम जाजीवाल भाटियान, तहसील एवं जिला जोधपुर (राजस्थान)

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।
2. आयुक्त, देवस्थान, उदयपुर।
3. सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जोधपुर।
4. भूमि अधिग्रहण अधिकारी सह उपखंड अधिकारी जोधपुर, जोधपुर (राजस्थान)।

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री मोती सिंह

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री मनीष पटेल, एएजी

माननीय डॉ. न्यायमूर्ति पुष्पेन्द्र सिंह भाटी

माननीय श्री न्यायमूर्ति मुन्नुरि लक्ष्मण

<u>निर्णय</u>

<u>रिपोर्ट करने योग्य</u>

<u>सुरक्षित रखा गया 05/04/2024</u>

<u>फैसला सुनाया गया 20/04/2024</u>

<u>प्रति डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी, जे:</u>

1. यह रिट याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत जनहित याचिका (पीआईएल) के रूप में प्रस्तुत की गई है, जिसमें निम्नलिखित राहत का दावा किया गया है:

> "अतः याचिकाकर्ताओं की ओर से विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की जाती है कि जनहित याचिका के लिए इस रिट याचिका को अनुमति दी जाए तथा उचित रिट, आदेश या निर्देश द्वारा प्रतिवादियों के विरुद्ध निम्नलिखित तरीके से जारी किए जाएं।
>
> क) उचित रिट, आदेश और निर्देश द्वारा उप सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा पारित दिनांक 19.01.2015 आदेश (अनुलग्नक-8) तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव, देवस्थान विभाग द्वारा पारित दिनांक 25.02.2015 आदेश (अनुलग्नक-9) को अवैध, मनमाना तथा अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित किया जाए तथा उन्हें रद्द किया जाए।
>
> ख) उचित रिट, आदेश और निर्देश द्वारा प्रतिवादी को राज्य के किसी भी भाग/क्षेत्र के गैर-सरकारी मंदिरों की भूमि के अधिग्रहण के मुआवजे के विरुद्ध जमा की गई सभी प्रकार की रोकी गई राशि को जारी करने का निर्देश दिया जाए और इसके अलावा राज्य प्राधिकरण को गैर-सरकारी मंदिरों को व्यक्तिगत रूप से या उनके ट्रस्ट को, जो मंदिर के प्रबंधन और प्रशासन के लिए काम कर रहे हैं, किसी भी अधिग्रहण के खिलाफ मुआवजा देने का निर्देश दिया जाए।
>
> ग) भूमि अधिग्रहण अधिकारी, जोधपुर द्वारा दिनांक 25.05.2021 के आदेश संख्या 79 (अनुलग्नक-6) के अनुसरण में ग्राम जाजीवाल भाटियान में श्री महादेव जी मंदिर (डोली मंदिर श्री महादेव जी) की भूमि के अधिग्रहण के विरुद्ध दी गई राशि को उचित रिट, आदेश एवं निर्देश द्वारा मंदिर या मंदिर के प्रबंधन के लिए कार्यरत ट्रस्ट के पक्ष में जारी करने की कृपा की जाए, तथा ऐसी राशि पर आदेश की तिथि से वसूली तक ब्याज भी प्रदान किया जाए।
>
> घ) कृपया उचित रिट या निर्देश जारी करके प्रतिवादी देवस्थान आयुक्त को निर्देशित किया जाए कि वह गैर

सरकारी मंदिर की भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध मुआवजे के रूप में अपने खाते में जमा राशि का संपूर्ण विवरण तथा दिनांक 19.01.2015 एवं 25.02.2015 के आदेशों के अनुसार किसी भी मंदिर के लिए खरीदी गई भूमि का विवरण इस माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

ड़) कि कोई अन्य राहत, जिसे यह माननीय न्यायालय राजस्थान राज्य में स्वस्थ न्यायिक प्रणाली की रक्षा और रखरखाव के लिए उपयुक्त समझता है, जिससे याचिकाकर्ता को पूर्ण न्याय मिल सके, की भी अनुमति दी जा सकती है।

च) कि वर्तमान में न्यायालय में सुनवाई के समय कोई अन्य मुद्दा उठाने की स्वतंत्रता है।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता श्री महादेव जी मंदिर (मठ), ग्राम जाजीवाल भाटियान, जिला जोधपुर नामक ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है तथा उक्त ट्रस्ट को राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1959 (जिसे आगे '1959 का अधिनियम' कहा जाएगा) के अंतर्गत सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जोधपुर द्वारा पारित दिनांक 16.11.2007 के आदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत किया गया था। उक्त पंजीकरण के पश्चात उक्त मंदिर का प्रबंधन ट्रस्ट समिति द्वारा किया जाता था, जिसमें बैंक खाता एवं ऑडिट रिपोर्ट भी शामिल थी।

2.1. तत्पश्चात दिनांक 26.06.2020 को जोधपुर शहर के चारों ओर रिंग रोड के निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत राजपत्र अधिसूचना प्रकाशित की गई तथा उसी के अनुसरण में ट्रस्ट की भूमि सहित कुछ भूमियों के संबंध में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही भी प्रारंभ की गई तथा संबंधित प्राधिकारी द्वारा दिनांक 25.05.2021 को उक्त भूमि अधिग्रहण के बदले में मुआवजा अवार्ड भी पारित किया गया, लेकिन ट्रस्ट के संबंध में दी गई मुआवजा राशि उसके खाते में हस्तांतरित नहीं की गई।

2.2. ऐसी परिस्थितियों में याचिकाकर्ता ने ट्रस्ट की भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा राशि जारी करने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन में भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा दिनांक 19.01.2015 को एक आदेश पारित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि मुआवजा राशि जारी कर देवस्थान विभाग के प्रतिवादी आयुक्त के खाते में जमा कर दी जाएगी।

2.3. आदेश में उल्लेखित अनुसार, मुआवजा राशि के उपयोग के लिए एक समिति पहले से ही गठित है। यह समिति आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करेगी तथा जिस मंदिर की भूमि अधिग्रहित की गई है, उसे वैकल्पिक भूमि आवंटित करने के लिए अनुशंसा करेगी। इसके अलावा, मुआवजा राशि रखने के बजाय, संबंधित नगर पालिका या स्थानीय निकाय अधिग्रहित भूमि के मालिकों को ऐसी भूमि आवंटित करने के उद्देश्य से देवस्थान विभाग के खाते में जमा धनराशि का उपयोग करके वैकल्पिक भूमि खरीदेंगे। इसी प्रकार का आदेश प्रतिवादी देवस्थान विभाग द्वारा भी दिनांक 25.02.2015 को पारित किया गया था।

2.4. इस प्रकार, दिनांक 19.01.2015 एवं 25.02.2015 के आदेशों से व्यथित होकर, उपर्युक्त राहतों का दावा करते हुए वर्तमान याचिका प्रस्तुत की गई है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि मंदिर की खातेदारी भूमि के अधिग्रहण के लिए देय मुआवजा राशि रोकने का प्रतिवादियों का आदेश मनमाना और अवैध है। यह भी तर्क दिया गया कि एक बार मुआवजा देने का आदेश पारित हो जाने के बाद मंदिर उक्त राशि प्राप्त करने का पूर्ण हकदार है।

3.1. विद्वान अधिवक्ता ने आगे दलील दी कि ट्रस्ट मंदिर के प्रबंधन और प्रशासन के लिए 1959 के अधिनियम के तहत पंजीकृत है, और इसलिए उक्त मंदिर को सरकारी प्रशासित मंदिर नहीं माना जाना चाहिए।

3.2. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि 1959 के अधिनियम के तहत देवस्थान आयुक्त सरकारी मंदिरों या राज्य से अनुदान प्राप्त करने वाले मंदिरों के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए पर्यवेक्षी प्राधिकरण है। हालांकि, वर्तमान मामले में, मंदिर का प्रबंधन सरकार द्वारा नहीं किया जाता है, इसलिए उक्त मंदिर के संबंध में देवस्थान आयुक्त की पर्यवेक्षी शक्ति प्रयोग करने योग्य नहीं है।

3.3. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि मंदिर या ट्रस्ट को सरकार से कोई अनुदान या निधि प्राप्त नहीं हो रही है, और इसलिए, 1959 के अधिनियम के प्रावधान और सरकारी नियंत्रण और प्रशासन के संबंध में दिशा-निर्देश याचिकाकर्ता ट्रस्ट या मंदिर पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए, प्रश्नगत आदेश कानून में उचित नहीं हैं।

3.4. अधिवक्ता ने यह भी कहा कि मंदिर का देवता हमेशा नाबालिग रहता है और देवता के हितों और अधिकारों के खिलाफ किसी भी तरह का कृत्य कानून की नजर में सही नहीं माना जा सकता। इस तरह के तर्क के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने इस माननीय न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा डोली मंदिर श्री महादेव जी भक्त के माध्यम से बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (डी.बी. विशेष

आवेदन रिट संख्या 396/2020 और अन्य संबंधित मामले, 04.11.2022 को तय) के मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा किया।

4. दूसरी ओर, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता की ओर से की गई उपरोक्त दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि अधिनियम 1959 की धारा 37 के अनुसार, देवस्थान विभाग के आयुक्त, राजस्थान राज्य के धर्मार्थ बंदोबस्त के कोषाध्यक्ष होने के नाते, भूमि अधिग्रहण के बदले में मुआवजा राशि, मंदिर की मूर्ति सहित संपत्ति खरीदने के लिए सुरक्षा के रूप में विभाग के पास जमा करवाना आवश्यक है।

4.1. यह भी प्रस्तुत किया गया कि उक्त आदेश के अनुसार जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है तथा उक्त समिति की संस्तुति पर विभाग के पास जमा मुआवजा राशि में से क्रय की जाने वाली भूमि मंदिर को आवंटित करने का निर्देश दिया गया है।

4.2. यह भी प्रस्तुत किया गया कि चूंकि मंदिर शाश्वत नाबालिग है तथा पुजारी/ ट्रस्टी उसका वास्तविक संरक्षक है, इसलिए पुजारी/ट्रस्टी को केवल मंदिर की संपत्ति के प्रबंधन की सीमा तक ही अधिकृत किया गया है तथा वह हिंदी अल्पसंख्यक एवं संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 11 की परिभाषा के अंतर्गत आता है। इसलिए विद्वान अधिवक्ता के अनुसार याचिकाकर्ता कानूनी रूप से मुआवजा राशि प्राप्त करने का हकदार नहीं है।

4.3. यह भी प्रस्तुत किया गया कि राजस्थान सरकार ने दिनांक 11.06.2020 को एक परिपत्र जारी किया है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ट्रस्ट/पुजारी को इस प्रकार की गई भूमि अधिग्रहण के बदले अधिग्रहण राशि प्राप्त करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है और यह निर्णय व्यापक जनहित में लिया गया है ताकि डोली भूमि की सुरक्षा की जा सके। यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान जनहित याचिका में उक्त परिपत्र को चुनौती नहीं दी गई है।

4.4. देवस्थान विभाग के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त प्रस्तुतियों के अतिरिक्त यह भी प्रस्तुत किया कि देवस्थान विभाग को अभी भी सक्षम प्राधिकारी से अधिग्रहण राशि प्राप्त नहीं हुई है।

5. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और साथ ही मामले के रिकॉर्ड के साथ-साथ बार में उद्धृत निर्णय का भी अवलोकन किया गया।

6. यह न्यायालय मानता है कि याचिकाकर्ता श्री महादेव जी मंदिर (मठ), ग्राम जाजीवाल भाटियान, जिला जोधपुर नामक पंजीकृत ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा है। 26.06.2020 को जोधपुर शहर के चारों ओर रिंग रोड के निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत एक राजपत्र अधिसूचना प्रकाशित की गई थी और उसी के अनुसरण में ट्रस्ट की भूमि सहित कुछ भूमि के संबंध में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही भी शुरू की गई थी और संबंधित प्राधिकारी द्वारा उक्त भूमि अधिग्रहण के बदले में 25.05.2021 को मुआवजा राशि भी पारित की गयी थी, लेकिन ट्रस्ट के संबंध में, दी गई राशि उसके खाते में स्थानांतरित नहीं की गई थी।

7. इसी बीच, याचिकाकर्ता ने ट्रस्ट की भूमि के अधिग्रहण की मुआवजा राशि को अपने पक्ष में जारी करने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिकारी के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया। भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने दिनांक 19.01.2015 के आदेश के तहत कहा कि मुआवजा राशि प्रतिवादी-आयुक्त देवस्थान विभाग के खाते में जारी की जाएगी और इसके बाद, देवस्थान विभाग ने भी दिनांक 25.02.2015 के आक्षेपित आदेश के तहत इसी तरह का आदेश पारित किया।

8. यह न्यायालय आगे यह भी मानता है कि राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार ने दिनांक 11.06.2020 को एक परिपत्र जारी किया (पी.9 (34) राज-6/2019/101) जिसमें भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 दोनों के तहत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मंदिर की भूमि के अधिग्रहण के बदले में मुआवजा पुजारी/ट्रस्टी द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जो भूमि के देखभालकर्ता के रूप में कार्य करता है; इसके बजाय, मुआवजे की राशि संबंधित विभाग के पास जमा करानी आवश्यक है, जो वर्तमान मामले में प्रतिवादी देवस्थान विभाग है।

उक्त परिपत्र का प्रासंगिक अंश नीचे प्रस्तुत है:-

''राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

प.9 (34) राज–6/2019/101 जयपुर दिनांक :– 11/06/2020

1. समस्त, सम्भागीय आयुक्त।
2. समस्त, जिला कलक्टर, राजस्थान।

<u>परिपत्र</u>

. . . . . .

अतः ऐसे प्रथम श्रेणी के प्रकरणों में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी भूमि के संबध में 1984 अधिनियम एवं 2013 अधिनियम के तहत पुजारी/ट्रस्ट ''केयरटेकर मैनेजर'' की हैसियत से किसी प्रकार का मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। इस प्रकार के प्रकरणों में मुआवजा निर्धारण प्रशासनिक सुधार विभाग की आज्ञा क्रमांक प.6(1) प्र.

सु./अनु–3/2015 दिनांक 19.01.2015 (संलग्नक–1) के अनुसार संबंधित विभाग में जमा किया जाता रहेगा।

. . . . . .

8. जैसा कि संलग्नक –4 एवं संलग्नक–5 में स्पष्ट है कि मंदिर माफी के कई प्रकरणों में 1952 अधिनियम के प्रभावी होने के पश्चात उक्त अधिनियम की धारा 9 के प्रावधानों के विपरीत भू–प्रबंध संक्रिया के दौरान खातेदारी का गलत इन्द्राज जागीर अधिनियम के विपरीत दर्ज किया गया है, या अनुचित रूप से रेफरेन्स दायर कर जागीर अधिनियम के विपरीत गलत रूप से खातेदारी का अंकिन किया गया है या बाद में संस्था या ट्रस्ट का गठन कर इस प्रकार की संस्था के नाम खातेदारी अधिकारों का अंकन कर दिया गया है। इस तरह के प्रकरणों में ऐसे व्यक्ति/सस्था/ट्रस्ट इस विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 3(2)राज–6/2017 पार्ट/101 जयपुर, दिनांक 18.09.2019 (संलग्नक–2) के अनुसार किसी प्रकार का खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के पात्र नहीं है, एवं इस कारण से वे भूमि आवाप्ति अधिनियम 1984 एवं भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार, पुर्नवास और पुर्नस्थापना अधिनियम 2013 के तहत मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी भी नहीं है।''

9. यह न्यायालय यह भी मानता है कि उपरोक्त परिपत्र के अनुसार याचिकाकर्ता को मंदिर की भूमि के अधिग्रहण के लिए मुआवजा राशि का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है, और इस प्रकार, प्रतिवादियों ने उचित रूप से आक्षेपित आदेश पारित किए हैं।

10. यह न्यायालय आगे यह भी मानता है कि उपरोक्त और विशेष रूप से, उपरोक्त उद्धृत परिपत्र के मद्देनजर, याचिकाकर्ता मंदिर की भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजे का दावा नहीं कर सकता है क्योंकि यह स्पष्ट है कि राशि देवस्थान आयुक्त के खाते में ही रहनी चाहिए। इसके अलावा, भूमि को निगम, पंचायत और विकास प्राधिकरण जैसी संबंधित संस्थाओं से खरीदा जाना था, ताकि संबंधित अधिग्रहण के बदले में मुआवजे के रूप में मंदिर को आवंटित किया जा सके। यह पूरी प्रक्रिया कलेक्टर द्वारा समिति के अध्यक्ष के रूप में और चार अन्य सदस्यों द्वारा की गई थी, जो कानून में पूरी तरह से उचित है।

10.1. उक्त समिति में जिला कलेक्टर (अध्यक्ष के रूप में) तथा जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विकास प्राधिकरण के कार्यकारी अधिकारी/ सचिव/ आवास बोर्ड के कार्यकारी अभियंता/ उपमंडल अधिकारी, जिला कलेक्टर द्वारा मनोनीत जिले में पदस्थापित लेखा सेवा के अधिकारी तथा संबंधित सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग शामिल थे।

10.2 यह न्यायालय आगे यह भी मानता है कि प्रतिवादी-देवस्थान विभाग द्वारा पारित दिनांक 25.02.2015 के आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि संबंधित मंदिर भूमि के अधिग्रहण के बदले मुआवजे की राशि का उपयोग किस प्रकार किया जाना है। त्वरित संदर्भ के लिए उक्त आदेश को निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया जाता है:-

"राजस्थान सरकार

देवस्थान विभाग

क्रमांक प.5(9)देव/2003 जयपुर, दिनांक 25/2/2025

आयुक्त,
देवस्थान विभाग,
उदयपुर।

विषय :– अराजकीय मंदिर/मदिर न्यास की भूमि अधिग्रहण का मुआवजा भुगतान के संबध में।

प्रसंग :– आपका पत्र क्रमांक एफ 3(4) सामान्य/देव/2004–पार्ट–1/8094 दिनांक 4.6.2012

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में चाहा गया मार्गदर्शन निम्न प्रकार हैः–

1. राजकीय मंदिरों के अवाप्ति से प्राप्त राशि से उनके पुर्नवास की व्यवस्था देवस्थान विभाग द्वारा की जावेगी। पुरातत्व महत्व के मंदिरों का पुर्नवास पुरातत्व विभाग द्वारा करवाया जावेगा तथा पुर्नवास राशि का भुगतान मुआवजा राशि में से किया जाएगा।

2. भूमि पर बोई फसल के मुआवजा राशि का भुगतान अवाप्ति से पूर्व भूमि के उपयोग/उपभोग की उप खण्ड अधिकारी से जांच उपरान्त मंदिर पुजारी को उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार के माध्यम से वार्षिक भुगतान की जावें।

3. अराजकीय मंदिर की भूमि अवाप्ति पर प्राप्त मुआवजा राशि आयुक्त, देवस्थान विभाग के निजी निक्षेप खाते में पूर्व की तरह जमा की जाती रहे। संबधित मंदिर जिसकी भूमि अवाप्ति पर मुआवजा राशि प्राप्त हुई है, उस राशि से भूमि नगर निगम/पंचायत समिति/विकास प्राधिकरण/आवासन मण्डल की जो भूमि उपलब्ध हो, वह उस संस्था के द्वारा मांगी गई राशि के अनुरूप अदा कर बदले में जमीन मंदिर के नाम आवंटित कराई जावेगी। एवज में भूमि दिलवाने के लिये जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक स्थाई समिति कमेटी गठित की गई है, जो भूमि का चयन कर, देय राशि निर्धारित कर आयुक्त, देवस्थान विभाग, राजस्थन को अपनी अनुशंसा प्रेषित करेगी एवं आयुक्त, देवस्थान उक्त राशि को नगर निगम/पंचायत समिति/विकास प्राधिकरण/आवासन मण्डल को अदा करेंगे। बदले में प्राप्त की गई भूमि संबधित मंदिर के नाम रहेगी। इस संबध में प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी आज्ञा संख्या प.6(1)प्रसु/अनु–3/2015 दिनांक 19.1.2025 द्वारा निम्नानुसार स्थाई समिति का गठन किया गया हैः–

1. जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	सदस्य
3. नगर निगम का अधिशाषी अधिकारी/ या विकास प्राधिकरण का सचिव/आवासन मण्डल का अधिशाषी अभियंता/उपखण्ड अधिकारी	सदस्य
4. जिले में पदस्थापित लेखा सेवा का अधिकारी जो जिला कलेक्टर द्वारा नामित हो	सदस्य
5. संबधित सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग	समन्वयक

आज्ञा दिनांक 19.1.2015 की फोटोप्रति संलग्न है।

भवदीय,
एस.डी. "

11. यह न्यायालय यह भी मानता है कि देवस्थान आयुक्त की नियुक्ति अधिनियम *1959* की धारा *7* के तहत की गई थी और राज्य सरकार आयुक्त के कर्तव्यों और कार्यों को उन क्षेत्रों में किसी भी सामान्य और विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है, जिन पर यह अधिनियम लागू होता है, और राज्य सरकार ने दिनांक 11.06.2020 को उपर्युक्त

परिपत्र जारी किया, जिसमें मंदिर की भूमि के अधिग्रहण के बदले मुआवजे की राशि को संबंधित विभाग के खाते में जमा करने की आवश्यकता है, जो वर्तमान मामले में प्रतिवादी-देवस्थान विभाग है। इसलिए, विचाराधीन मुआवजा राशि को देवस्थान विभाग के आयुक्त के खाते में रहना कानून में उचित है, जो अन्यथा, जैसा कि निर्धारित है, मंदिर/ ट्रस्ट के हितों की सेवा करेगा, क्योंकि मुआवजे की उक्त राशि का उपयोग समिति की सिफारिशों के अनुसार किया जाएगा।

> धारा *7* - देवस्थान आयुक्त*:*
>
> 1. राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक अधिकारी को देवस्थान आयुक्त नियुक्त करेगी, जो इस अधिनियम या किसी अन्य कानून के प्रावधानों के तहत या उसके द्वारा उस पर लगाए गए अन्य कर्तव्यों और कार्यों के अलावा, राज्य सरकार के सामान्य और विशेष आदेशों के अधीन प्रशासन का पर्यवेक्षण करेगा और इस अधिनियम के प्रावधानों को उन क्षेत्रों के माध्यम से लागू करेगा, जिन पर यह अधिनियम लागू होता है।
>
> 2. आयुक्त राजस्थान राज्य के देवस्थान आयुक्त के नाम से एकमात्र निगम होगा, इस प्रकार उसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर होगी और वह अपने कॉर्पोरेट नाम से वाद ला सकता है और उस पर वाद लाया जा सकता है।

11.1. यह न्यायालय 1959 के अधिनियम के अध्याय IX "सार्वजनिक ट्रस्ट पर नियंत्रण" में आगे टिप्पणी करता है कि आयुक्त और सहायक आयुक्त को कार्यकारी ट्रस्टी या अन्य ट्रस्टी या किसी सार्वजनिक ट्रस्ट से जुड़े किसी भी व्यक्ति से बुलाने, वापस करने, बयान, खाता या रिपोर्ट देने का अधिकार है, जो दर्शाता है कि उक्त अधिकारी सार्वजनिक ट्रस्ट के लाभ और हितों के लिए काम करते हैं और इसलिए, दी गई परिस्थितियों में, पुजारी/ट्रस्टी मंदिर की भूमि के अधिग्रहण के बदले मुआवजे की राशि पर नियंत्रण का दावा नहीं कर सकते हैं।

12. यह न्यायालय यह भी मानता है कि अधिनियम *1959* की धारा *37* के अनुसार आयुक्त को राजस्थान राज्य में धर्मार्थ बंदोबस्ती का कोषाध्यक्ष माना जाता है। उपर्युक्त परिपत्र के अनुसार मंदिर की भूमि के अधिग्रहण के बदले मुआवजा आयुक्त, देवस्थान विभाग के खाते में जमा किया जाना आवश्यक है। इसलिए कोषाध्यक्ष के रूप में आयुक्त का कोई भी कार्य ऐसे मंदिर/ट्रस्ट के अधिकारों और हितों के प्रतिकूल नहीं होगा। त्वरित संदर्भ के लिए अधिनियम *1959* की उक्त धारा *37* को नीचे पुन*:* प्रस्तुत किया गया है*:-*

'धारा *37* - आयुक्त का धर्मार्थ दान का कोषाध्यक्ष होना*:*

धर्मार्थ दान अधिनियम, *1890 (1890* का केन्द्रीय अधिनियम *VII)* में किसी बात के होते हुए भी, आयुक्त को उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियुक्त राजस्थान राज्य के धर्मार्थ दान का कोषाध्यक्ष माना जाएगा और इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से पहले कोषाध्यक्ष में निहित संपत्ति धर्मार्थ दान के कोषाध्यक्ष के रूप में आयुक्त में निहित मानी जाएगी और उक्त अधिनियम के प्रावधान उक्त अधिनियम के तहत नियुक्त धर्मार्थ दान के कोषाध्यक्ष के रूप में आयुक्त पर लागू होंगे।"

12.1. यह न्यायालय आगे यह भी मानता है कि आयुक्त को राजस्थान राज्य में धर्मार्थ बंदोबस्त का कोषाध्यक्ष माना जाता है और *1959* के अधिनियम की धारा *2 (3)* में निहित 'धर्मार्थ बंदोबस्त' की परिभाषा इस प्रकार है*:-*

"(3) "धर्मार्थ बंदोबस्ती" से तात्पर्य समुदाय या उसके किसी वर्ग के लाभ के लिए दी गई या दान की गई समस्त संपत्ति से है, या समुदाय या वर्ग के लिए उपयोगी वस्तुओं के समर्थन या रखरखाव के लिए अधिकार के रूप में उपयोग की जाती है*;* जैसे विश्रामगृह, पाठशालाएं, स्कूल और कॉलेज, गरीबों को भोजन कराने के लिए घर और शिक्षा, चिकित्सा सहायता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास के लिए संस्थाएं या इसी प्रकार की अन्य वस्तुएं और इसमें संबंधित संस्था भी शामिल है*;"*

12.2. यह न्यायालय यह भी मानता है कि विचाराधीन मंदिर एक सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत है और अधिनियम *1959* की धारा *2 (11)* में निहित 'सार्वजनिक ट्रस्ट' की परिभाषा इस प्रकार है*:-*

"(11) "सार्वजनिक ट्रस्ट" का अर्थ है सार्वजनिक, धार्मिक या दान योग्य उद्देश्य या दोनों के लिए एक स्पष्ट या रचनात्मक ट्रस्ट और इसमें मंदिर, मठ, धर्मदा या कोई अन्य धार्मिक या धर्मार्थ बंदोबस्ती या संस्था और धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य या दोनों के लिए गठित एक सोसायटी शामिल है*;"*

12.3. यह न्यायालय आगे यह भी मानता है कि विचाराधीन मंदिर एक पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट है, और 'धर्मार्थ बंदोबस्ती' शब्द 'सार्वजनिक ट्रस्ट' की उपरोक्त परिभाषा के अंतर्गत आता है, और आयुक्त, *1959* के अधिनियम की धारा *37* के अनुसार, धर्मार्थ बंदोबस्ती प्राप्त करने वाले मंदिर के कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। यह न्यायालय आगे यह भी मानता है कि आयुक्त का उक्त बंदोबस्ती पर कोषाध्यक्ष के रूप में नियंत्रण है, और इसके अलावा, मंदिर *(*देवता*)* एक शाश्वत नाबालिग है और एक पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट है, याचिकाकर्ता विचाराधीन मंदिर के भूमि अधिग्रहण के बदले में देय किसी भी मुआवजे के संबंध में नियंत्रण का दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि मंदिर के अधिकारों और हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रतिवादी-देवस्थान विभाग के आयुक्त के माध्यम से राज्य का कर्तव्य है।

12.4. यह न्यायालय यह भी मानता है कि मंदिर के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य सरकार ही सर्वश्रेष्ठ प्राधिकारी है और विशेष रूप से, *1959* के अधिनियम के तहत, आयुक्त, कोषाध्यक्ष होने के नाते मंदिर पर अपना नियंत्रण रखने और मंदिर की भूमि के अधिग्रहण के बदले में मुआवजा प्राप्त करने के लिए भी सशक्त है।

13. यह न्यायालय यह भी मानता है कि प्रतिवादियों द्वारा की गई पूरी कार्रवाई का उद्देश्य मंदिर की भूमि की रक्षा और सुरक्षा करना है और यह व्यापक जनहित में किया गया है। संबंधित आदेश स्पष्ट रूप से उस वैध तरीके को प्रदर्शित करते हैं जिसमें मंदिर के लाभ के लिए मुआवजे की राशि का उपयोग करने का प्रस्ताव किया जा रहा है, जिसकी भूमि संबंधित कार्यवाही के तहत अधिग्रहित की गई है।

14. यह न्यायालय आगे यह भी मानता है कि कानून के स्थापित सिद्धान्त के अनुसार, मंदिर *(*देवता*)* शाश्वत नाबालिग है और पुजारी/ट्रस्टी केवल इसके देखभालकर्ता के रूप में कार्य करता है और इस प्रकार, मंदिर की भूमि के अधिग्रहण के बदले मुआवजा आयुक्त, देवस्थान विभाग के खाते में रहना चाहिए, जो बदले में समिति के निर्णय के अनुसार वैकल्पिक भूमि की खरीद के लिए इसका उपयोग करेगा और खरीदी जाने के बाद ऐसी भूमि मंदिर को वापस आवंटित की जाएगी, इस प्रकार, इसके अधिकारों और हितों की पूरी तरह से रक्षा और सुरक्षा होगी। इसलिए, याचिकाकर्ता की ओर से उद्धृत निर्णय उसके मामले में कोई सहायता प्रदान नहीं करता है, विशेष रूप से, जब प्रतिवादी-देवस्थान विभाग की संरक्षक भूमिका के कारण, मंदिर और देवता को कोई पूर्वाग्रह नहीं हो रहा है।

15. इस प्रकार, उपरोक्त टिप्पणियों और पूर्वोक्त परिपत्र के प्रकाश में तथा वर्तमान मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स को देखते हुए, यह न्यायालय वर्तमान जनहित याचिका में याचिकाकर्ता को कोई राहत देने के लिए इसे उपयुक्त मामला नहीं मानता है।

16. परिणामस्वरूप, वर्तमान याचिका *(*पीआईएल*)* खारिज की जाती है। सभी लंबित आवेदनों का निपटारा किया जाता है।

(मुन्नुरि लक्ष्मण), जे **(डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी), जे**

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।